10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

390
9/12/13

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /13-14 निगरानी - 147-I/14

घनश्याम पिता चेनाजी, जाति-भील, निवासी-ग्राम आत्राकोढ़ी, तह. व जिला देवास म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला देवास
2. रामकलाबाई पति गोविन्द, जाति-बलाई, निवासी-बारोली, तह. व जिला देवास ....प्रत्यर्थीगण

न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास के प्रकरण क्र.14/अ-21/12-13 में पारित आदेश दिनांक 15/04/2013 एवं न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 463/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13/09/2013 से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 147–एक/2014 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-15	यह अपील आवेदन पत्र भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 44 (2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 463/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2013 विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है, कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 108 रकवा 0.31 व सर्वे नं. 109/1 रकवा 0.69 है. कुल किता 2 कुल रकवा 1.00 है. स्थित ग्राम आंत्राकोढी तहसील व जिला देवास को विक्रय करने की अनुमति चाही थी। यह भूमि उसकी स्वअर्जित अर्थात स्वयं के द्वारा क्रय की गयी भूमि है। ओर वह उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् भूमि हीन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक अन्य कृषि भूमि का खाता रकवा 7.55 है. का है, ओंर उसने उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् ग्राम अंबोदिया में भूमि क्रय करने का अनुबंध कर लिया है। इस प्रकार प्रस्तावित कृषि भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी अपीलार्थी के पास 10.36 है. कृषि योग्य भूमि शेष बचेगी। इस प्रकार वह भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी भूमिहीन नहीं होगा, इस तथ्य पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी जो भूमि विक्रय कर रहा है, उसे शासकीय गाइड लाईन के अधिक बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसके साथ किसी प्रकार का छल नहीं हो रहा है और न ही उसे किसी प्रकार से हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला देवास एवं अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा जो आदेश पारित किये है वह अपास्त किये जाये । अंत में अपील स्वीकार की जाकर भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति	

दिये जाने का निवेदन किया।

3– प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्होने भूमि सर्वे क्रमांक 108 रकवा 0.31 एवं सर्वे क्रमांक 109/1 रकवा 0.69 कुल किता 2 कुल रकवा 1.00 है. अपीलार्थी से क्रय किये जाने का विक्रय इकरारनामा दिनांक 08.12.2011 को सम्पादित करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो उन्हे आर्थिक क्षति होगी ऐसी स्थिति भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

4– प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है, कि अपीलार्थी घनश्याम पुत्र चेनाजी भील द्वारा ग्राम आंत्राकोढी तहसील व जिला देवास में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 108 रकवा 0.31 एवं सर्वे क्रमांक 109/1 रकवा 0.69 है. कुल किता 2 कुल रकवा 1.00 है. को उधारी चुकाने एवं बैंक का कर्ज अदा करने के लिये रूपयो की आवश्यकता होने तथा शेष बची भूमि रकवा 4.96 है. को कृषि उन्नत बनाने के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 165 (6) के अन्तर्गत कलेक्टर जिला देवास के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसे कलेक्टर देवास ने सद्भावना पर नहीं होने से नस्तीबद्व किये जाने का आदेश दिनांक 15.04.2013 को पारित किया है। अपर आयुक्त ने अपील इस आधार पर निरस्त की है, कि अनुसूचित जाति के हितो के रक्षा के उद्देश्य से विशेष प्रावधान किये गये है। जिससे वह भूमि हीन न हो सके, अपीलार्थी भूमि को विक्रय करने से निश्चित ही भूमिहीन हो जायेगा। अपीलार्थी ग्राम आंत्राकोढी में स्थित कृषि भूमि कुल किता 2 कुल रकवा 1.00 है. विक्रय कर रहा है, जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी है, इस प्रकार उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार देवास द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 108, 109/1 रकवा क्रमशः 0.31, 0.69 कुल रकवा 1.00 है. उक्त वर्णित भूमि शासन योजना अन्तर्गत पट्टे पर दी गयी भूमि नहीं है।

अपीलार्थी को भूमि विक्रय किये जाने पर प्रतिफल गाइड लाईन अनुसार अधिक मिल रहा है, ऑर वह भूमि को विक्रय करने के पश्चात् कर्ज की भरपाई कर शेष बची भूमि रकवा 4.96 है. को कृषि उन्नत बनाने में खर्च करेगा। इस प्रकार विक्रय किये जाने का प्रतिवेदन दिया था। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी देवास द्वारा की गयी थी, इस प्रकार अपीलार्थी भूमि विक्रय करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होगा, इस प्रकार कलेक्टर न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आवेदन पत्र सद्भावना पर आधारित नहीं है, उचित नही है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपना शपथ पत्र आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में उपलब्ध है । इस प्रकार आवेदन पत्र को सद्भाविक मानने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है। जहॉ तक अपीलीय न्यायालय के आदेश का प्रश्न है तो उन्होने अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के उद्देश्य से अपीलार्थी को भूमिहीन हो जाने का उल्लेख किया है। जबकि अपीलार्थी के पास भूमि विक्रय करने के पश्चात् रकवा 4.96 है. भूमि शेष रहेगी। जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और कलेक्टर जिला देवास का आदेश दिनांक 15.04.2013, अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन का आदेश दिनांक 13.09.2013 निरस्त किये जाते है एवं अपीलार्थी घनश्याम पुत्र चेनाजी भील को ग्राम आंत्राखोढी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 108 रकवा 0.31 एवं सर्वे क्रमांक 109/1 रकवा 0.69 है. कुल किता 2 कुल रकवा 1.00 है. विक्रय करने की अनुमति दी जाती है। पक्षकार सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की प्रति भेजने के पश्चात् राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाये।

सदस्य